B-2
L-7
Polity

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

*मूल अधिकार मूल क्यों हैं?

- मूल अधिकार, संविधानवाद की स्थापना करता है। मूल अधिकारों के द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है।
- मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते है। इसीलिए मूल अधिकारों का भाग - 3 अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होता है, जिसमें राज्य का अभिप्राय स्पष्ट किया गया है।
- राज्य (State) में शामिल है :-
  - संघ की कार्यपालिका / विधायिका
  - राज्य की कार्यपालिका / विधानमण्डल
  - स्थानीय शासन
  - राज्य की अन्य एजेंसियां / प्राधिकारी
- यदि कोई विधि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करें अथवा उसे सीमित करें, तो व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

में जाने का अधिकार है।

- मूल अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं सरकार के द्वारा नहीं और संविधान के द्वारा केवल भाग-3 के अधिकारों को विशेष संरक्षण दिया गया है जिसे अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित किया गया है। जिसके अनुसार, यदि कोई विधि मूल अधिकार के विरुद्ध होगी, तो उच्चतम न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।
- उच्चतम न्यायालय के द्वारा संसद द्वारा निर्मित समूचे विधि को रद्द नहीं किया जाता, अपितु विधि के उसी भाग को समाप्त किया जाता है, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। न्यायालय के द्वारा विधि में इसी अलगाव को पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं।
- मूल अधिकार न तो संसद द्वारा निर्मित विधियों से सीमित किए जायेंगे और न ही संविधान लागू होने से पहले बनी विधियों (पूर्व संवैधानिक विधि) से इसे समाप्त किया जा सकता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

• यदि मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों के मध्य विरोध उत्पन्न हो, तो मूल अधिकार, पूर्व संवैधानिक विधियों को ढंक लेंगे।

* संविधान संशोधन और मूल अधिकार :-

• मूल अधिकारों की प्राथमिकता के बावजूद 44वें संविधान संशोधन से सम्पत्ति के अधिकार को भाग-3 के मूल अधिकारों से हटा दिया गया क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, सामान्य विधि के द्वारा नहीं।

• लेकिन इसका यह अभिप्राय न माना जाए कि संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी मूल अधिकार को हटाया जा सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 14, 19, 21, 25, 29, 30 और 32 को किसी भी कीमत पर हटाना संभव नहीं है।

* व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य की समस्या :-

• वर्तमान उदारीकरण और निजीकरण के दौर में

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

राज्य और निजी क्षेत्र परस्पर सहयोग कर रहे हैं इसीलिए यदि निजी क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उन्हें भी राज्य के दायरे में शामिल किया जाएगा और उनके विरुद्ध अधिकारों की माँग की जा सकती है।

- संविधान निर्माताओं ने अधिकारों को प्राथमिकता दी और अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, परन्तु भाग-4 के निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का विचार दिखायी देता है। अतः आम जनता के कल्याण, राष्ट्रीय एकता-अखण्डता, लोक व्यवस्था का दायित्व राज्य को दिया गया है। इसीलिए नागरिकों के मूल अधिकारों पर राज्य को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति है। इसीलिए भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार अमेरिका की भाँति निरपेक्ष नहीं है, जहाँ संविधान के द्वारा मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हैं, जबकि भारत में मूल अधिकार सापेक्ष है जहाँ संविधान से ही मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR